भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1875

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

पालना योजना

1875. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पालना योजना के अंतर्गत अब तक कितने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच स्थापित किए गए हैं तथा 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच स्थापित करने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा;

(ख) उपर्युक्त योजना से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और आय पर विशेष रूप से बच्चों की देखभाल के लिए परिवार के समर्थन की कमी पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) कर्नाटक में पालना योजना के अंतर्गत अब तक कितने आंगनवाड़ी-सह-क्रेच स्वीकृत और स्थापित किए गए हैं;

(घ) कर्नाटक में पालना योजना के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इसमें से अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ड.) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कामकाजी माताओं के लिए क्रेच सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): अम्ब्रेला मिशन शक्ति के अंतर्गत, 15वें वित्त चक्र (अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 तक) के दौरान, 'पालना' योजना के तहत कुल 17,000 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा कुल 10,609 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 31.10.2024 तक संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1241 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच स्थापित किए जा चुके हैं।

कर्नाटक राज्य के लिए अनुमोदित 248 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच में से 164 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच की स्थापना कर्नाटक सरकार ने कर दी है। राज्य में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर्नाटक सरकार को 1.60 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र कर्नाटक सरकार से प्रतीक्षित है।

दोनों संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों की कामकाजी महिलाओं के लिए डे केयर सेवाओं/ क्रेच की बेहतर गुणवत्ता और पहुंच की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण और किफायती डे-केयर सेवाओं की कमी महिला कार्यबल की बढ़ती भागीदारी में बाधा है। यह अत्यंत आवश्यक डे-केयर क्रेच सुविधा पालना योजना के माध्यम से प्रदान की जा रही है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली बाल देखरेख सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं। देखरेख कार्य को औपचारिक बनाना सतत विकास लक्ष्य 8 – सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए " सम्मानजनक कार्य अभियान" में सहयोग करता है। इससे अधिक माताओं को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

आंगनवाड़ी केंद्र विश्व की सबसे बड़ी बाल देखभाल संस्थाएं हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जिससे अंतिम बिंदु तक देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं। अपनी तरह के पहले दृष्टिकोण में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। यह पूरे दिन बाल देखभाल सहायता सुनिश्चित करेगा और सुरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा। पालना का उद्देश्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्ता वाले क्रेच की सुविधा, पोषण संबंधी सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास की निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा इत्यादि प्रदान करना है। पालना के तहत क्रेच की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जाती है, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

******